IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

ग्रामीण महिलाओं के स्वावलम्बन में सरकारी योजनाओं की भूमिका :उत्तर प्रदेश के बस्ती जनपद की महिलाओं का एक समाजशास्त्रीय अध्ययन

1. अंजली त्रिपाठी- शोधार्थी,समाजशास्त्र विभाग, वनस्थली विद्यापीठ,राजस्थान (anjalitripatrhi435@gmail.com)

2. डॉ.राजश्री मठपाल-असिस्टेंट प्रोफेसर समाजशास्त्र विभाग,वनस्थली विद्यापीठ,राजस्थान

" राष्ट्र के समन्वित एवं समग्र विकास के लिए ग्रामीण महिलाओं का शिक्षण और सशक्तिकरण अत्यंत आवश्यक है।"- महात्मा गांधी

सारांश

दुर्गासप्तशती का आदर्श वाक्य है -"या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता ''तथा ''या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धा रूपेण संस्थिता " आदि उक्तियों द्वारा स्त्री को श्रेष्ठ बताया गया है।

अर्थात नारी की सहायता के बिना हम उच्च शिखर पर नहीं पहुंच सकते, देश की कुल महिला जनसंख्या की लगभग 70 प्रतिशत महिलाएं ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती हैं , अतः देश के विकास में ग्रामीण महिलाओं की भागीदारी आवश्यक और अनिवार्य मानी जानी चाहिए।

एक ओर जहां शहरी महिलायें, स्कूलों, कॉलेजों, दफ्तरों, एवं कारखानों आदि में पुरूषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर देश के विकास में संलग्न हैं,वहीं दूसरी ओर ग्रामीण महिलाएं खेतों, खलिहानों तथा अन्य विभिन्न क्षेत्रों में रात-दिन काम करके देश के आर्थिक विकास में अपना अमूल्य योगदान दे रहीं हैं, इन सबके बावजूद समाज में नारी पुरुष से हेय समझी जाती है,खासकर ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं और अधिक उपेक्षित हैं ।

भारत सरकार द्वारा ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन के लिए कई कार्यक्रम चलाए गए, इन कार्यक्रमों में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए अद्वितीय तत्व शामिल हैं, भारत सरकार वर्तमान में कई विभागों और मंत्रालयों के माध्यम से महिलाओं के सशक्तिकरण तथा स्वावलम्बन के लिए कार्यक्रम चला रही है। अत: प्रस्तुत अध्ययन का मुख्य उद्देश्य विभिन्न प्राथमिक व द्वितीयक तथ्यों के आधार पर राज्य सरकार एवं केंन्द्र सरकार द्वारा ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण तथा स्वावलम्बन के लिए चलाये जा रहे विभिन्न योजनाओं तथा कार्यक्रमों की प्रभावशीलता का अध्ययन करना है तथा साथ ही इन योजनाओं का ग्रामीण महिलाओं के जीवन में पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन करना है ।

मुख्य शब्द-महिला स्वावलम्बन,ग्रामीण महिलाएं,सरकारी योजनाए ,आर्थिक स्वावलम्बन,महिला सहभागिता,महिला सशक्तिकरण

प्रस्तावना- महिला स्वावलम्बन महिलाओं में योग्यता व कौशल में वृद्धि कर सामाजिक गतिविधियों के साथ आर्थिक गतिविधियों में भागीदारी को बढ़ावा देने को परिलक्षित करता है,जिससे वे अपने जीवन की गुणवत्ता में व्यापक सुधार ला सके , स्वावलम्बन महिला में स्वाभिमान को स्थापित करता है और साथ ही उन्हें चेतना से संपन्न करता है, यही चेतना उनके सामर्थ्य का निर्माण करती है और उन्हें संगठित करने के लिए प्रेरित भी करती है।

अतः महिला सशक्तीकरण के लिए स्वावलम्बन, स्वाभिमान और सामर्थ्य अत्यंत आवश्यक है।

निःसंदेह आज भारत में महिलाओं की स्थिति में पहले की अपेक्षा काफी सुधार हुआ है, परंतु अभी भी उनके लिये बहुत कुछ किया जाना शेष है,ग्रामीण महिलाएं जिनके संदर्भ में घरेलू हिंसा, सामाजिक शोषण और आर्थिक शोषण का स्तर कुछ अधिक है, उनके संदर्भ में ये स्थिति विशेष रूप से चिन्ताजनक है।

ग्रामीण परंपरा के अनुसार, एक महिला का स्थान घर पर रहा है और एक दशक पहले, घर के बाहर महिलाओं के रोजगार को समाज में हेय दृष्टि से देखा जाता था, परन्तु अब स्थिति बदल गई है।

क्योंकि देश के सतत विकास को सुनिश्चित करने के लिए ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाना समाज के लिए एक आवश्यकता बन गई है।

ग्रामीण महिलाओं ने भी सकल आर्थिक आवश्यकता के माध्यम से अपने घरों के बाहर रोजगार की तलाश शुरू कर दी है, जिसके बाद आर्थिक स्थिति बढ़ाने, स्वतंत्र आय प्राप्त करने, शिक्षा, करियर बनाने आदि के लिए की इच्छा पैदा हुई है।

ग्रामीण महिलाओं के स्वावलम्बन का तात्पर्य ग्रामीण आबादी की आर्थिक बेहतरी के साथ-साथ बड़े सामाजिक परिवर्तन से भी है।

सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनैतिक, सामूहिक एवं वैश्विक सभी क्षेत्रों में सभी स्तरों पर महिलाओं की समानता का अधिकार देना इसका मूल उद्देश्य हैं।

भारतीय ग्रामीण महिलाओं के स्वावलम्बन के लिए सरकारी प्रयास- देश की आजादी के बाद से ही ग्रामीण महिलाओं का कल्याण और विकास आयोजन प्रणाली का केन्द्रीय विषय रहा है,1997 के दशक में जहां कल्याण की अवधारणा अपनाई गई, वहीं 1990 में विकास एवं महिला अधिकारिता पर बल दिया गया जिससे महिलायें निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल हों और नीति-निर्माण स्तर पर भी उनकी सहभागिता हो सके ।

भारत में लगभग 33% जनता गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही है, जिसकी ओर ध्यान देना आवश्यक है।

इस दिशा में भारत सरकार की स्टेप, आई. आर. डी. पी. ट्रायसेम एवं ड्वाकरा राष्ट्रीय महिला कोष, इंदिरा महिला योजना, महिला समृद्धि योजना योजनाएं महत्वपूर्ण हैं, महिलाओं को स्वरोजगार चलाने के लिये प्रोत्साहित करने हेतु इन योजनाओं में काफी बल दिया गया है,इसके अलावा भारत में, महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से गत 3-4 वर्षों में कुछ नई योजनाएं भी प्रारंभ की गयी जो इस प्रकार हैं-

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना: यह कार्यक्रम भारत में बच्चों के घटते लिंग अनुपात से निपटने के लिए 2015 में शुरू किया गया था। कार्यक्रम का उद्देश्य लिंग आधारित बहिष्कार को रोकना, लड़कियों के अस्तित्व और सुरक्षा को सुनिश्चित करना और उनकी शिक्षा की गारंटी देना है।

सुकन्या समृद्धि योजना: यह कार्यक्रम माता-पिता को अपनी बेटी की शिक्षा और शादी के लिए पैसे बचाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए 2015 में बनाया गया था।

यह एक उच्च-ब्याज बचत योजना है जो आपको लड़की के 10 साल की होने से पहले उसके नाम पर खाता खोलने की अनुमति देती है।

प्रधानमंत्री मातृ बंदना योजना: यह योजना गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इस योजना के तहत महिलाओं को उनकी पहली गर्भावस्था के लिए तीन किस्तों में 5,000 रुपये मिलते हैं, कार्यक्रम का उद्देश्य गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के स्वास्थ्य और पोषण में सुधार करना है।

माहिला ई- हाट: यह उनकी ऑनलाइन मार्केटिंग है,महिला उद्यमियों को अपने उत्पाद प्रदर्शित करने और बेचने के लिए एक मंच प्रदान करने के लिए 2016 में बनाया गया था।

प्रधानमंत्री अंत्योदय अन्न योजना: इस योजना के माध्यम से केंद्र सरकार उद्देश्य है हर अंत्योदय राशन कार्ड वाले गरीब परिवारों को को 35 किलो राशन प्रदान किया जायेगा।

प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना: इस योजना को भारत सरकार द्वारा 25 सितंबर 2018 को पुरे देश में लागु किया गया था इस योजना के माध्यम से गरीबों का इलाज फ्री में कराया जायेगा। इसमें कई बीमारियों का इलाज मुफ्त में किया जायेगा सरकार द्वारा 5 लाख तक इलाज के लिए हॉस्पिटल को दिया जायेगा।

प्रधानमंत्री मनरेगा योजना: मनरेगा योजना के माध्यम से गरीबों को हर साल 100 दिन का काम दिया जाता है , इस योजना का उद्देश्य गरीबों को रोजगार दिलाना है

प्रधानमंत्री आवास योजना: आवास योजना के माध्यम से गरीबों को उनके खुद का पक्का मकान उपलब्ध कराया जाता है जिससे गरीबों को कच्चे मकान में रहना न पड़े

महिला हेल्पलाइन कार्यक्रम: यह कार्यक्रम जरूरतमंद महिलाओं की मदद के लिए 1998 में बनाया गया था। हेल्पलाइन नंबर 181 है, जो उन महिलाओं के लिए 24 घंटे उपलब्ध है जिनके साथ मारपीट या उत्पीड़न किया गया है।

प्रधान मंत्री मुद्रा योजना: यह योजना 2015 में शुरू की गई थी और रुपये तक का ऋण प्रदान करती है,महिला उद्यमियों सहित एम.एस.एम.ई के लिए 100,000 रुपये,इस कार्यक्रम का उद्देश्य छोटे व्यवसायों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है, जिससे रोजगार सृजन में मदद मिलती है।

क्या कहते हैं आंकडे?

2011 की जनगणना के अनुसार, अखिल भारतीय स्तर पर कार्यबल भागीदारी दर महिलाओं के लिए 25.51% और पुरुषों के लिए 53.26% थी। जबकि पुरुषों के लिए कोई ग्रामीण-शहरी अंतर नहीं था (53%), महिलाओं के लिए ग्रामीण-शहरी अंतर अधिक था (ग्रामीण - 30%, शहरी - 15.4%)।

एनएसएस 2011-12 के अनुसार, ग्रामीण भारत में 59.3% महिला श्रमिक स्व-रोज़गार में हैं, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह आंकड़ा 42.8% था। पुरुष श्रमिकों में, ग्रामीण क्षेत्रों में 54.5% और शहरी क्षेत्रों में 41.7% स्व-रोज़गार हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में नियमित वेतन/वेतनभोगी का हिस्सा

महिलाओं के लिए 15.4%) एनएसएस 2011-12 के अनुसार, ग्रामीण भारत में 59.3% महिला श्रमिक स्व-रोज़गार में हैं, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह आंकड़ा 42.8% था। पुरुष श्रमिकों में, ग्रामीण क्षेत्रों में 54.5% और शहरी क्षेत्रों में 41.7% स्व-रोज़गार हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में नियमित वेतन/वेतनभोगी कर्मचारियों की हिस्सेदारी शहरी क्षेत्रों (42.8% - महिलाएं, 43.4 - पुरुष) की तुलना में महिलाओं (5.6%) और पुरुषों (10%) दोनों के लिए कम थी।

सैद्धांतिक उपागम

यदि हम इस संबंध में अमर्त्य सेन द्वारा प्रस्तुत सिद्धांत की ओर देखें तो "सामर्थ्य उपागम" में सेन महिला सशक्तिकरण, उनके अधिकारों और समाज में उनकी भागीदारी में वृद्धि पर अत्यधिक बल देते हुए कहतें हैं कि “नारी जाति को बल प्रदान करने पर हम उस भविष्य को हासिल कर सकते हैं जिसे हम प्राप्त करना चाहते हैं।”

इस सम्बन्ध में अमर्त्य सेन शिक्षा के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनने की प्रेरणा देते हैं।

अमर्त्य सेन सामाजिक समानता पर बल देते हुए कहते हैं कि सभी को सामर्थ्यवान बनाने के लिये सामाजिक असमानताओं को कम करने एवं मानवीय क्षमताओं के संपूर्ण विकास पर जोर देना होगा।

तथा सभी को अधिकार प्राप्त करने के लिए साक्षरता, शिक्षा तथा स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराने की आवश्यकता है,इसलिये वे मनरेगा एवं खाद्य सुरक्षा जैसी कल्याणकारी योजनाओं का समर्थन करते हैं,सरकारों की पहली प्राथमिकता सामाजिक विकास ही होनी चाहिये अर्थात् वे विकास दर के ऊपर सामाजिक विकास को प्राथमिकता देते हैं।

शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीबी उन्मूलन आदि कार्यक्रमों को सरकार को अपने हाथ में लेना चाहिये।

समस्या उत्पादन के क्षेत्र में न होकर वितरण के क्षेत्र में है इसलिये वे वितरण प्रक्रिया पर ज़ोर देते हुए ‘एक्टिव रिडिस्ट्रीब्यूशन’ (Active Redistribution) की बात करते हैं।

इसी प्रकार प्रसिद्ध अर्थशास्त्री अभिजीत बनर्जी ने गरीबी उन्मूलन के लिए सरकारी योजनाओं का समर्थन करते हुए इस बात का खंडन किया कि गरीबों को मिलने वाली मुफ्त सरकारी सहायता,योजनाएं उन्हें कमजोर व आलसी बनाती हैं,भारत समेत कहीं भी इससे सम्बन्धित कोई आंकड़ें और व्यावहारिक सबुत नहीं पाए गये ,बनर्जी के अनुसार जो लोग सरकारी और गैर सरकारी सहायता से लाभान्वित हुए हैं,वे वास्तव में और अधिक उत्पादक और रचनात्मक हुए हैं।

इस प्रकार यदि हम अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ,अभिजीत बनर्जी के सिद्धांतों को महिला सशक्तिकरण तथा कल्याण के क्षेत्र में लागू करें तो पाएंगे समाजशास्त्रीय व अर्थशास्त्रीय दृष्टि से भी सम्पूर्ण समाज के कल्याण के लिए दुर्बल वर्गों का उत्थान आवश्यक है,जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं।

शोध साहित्य का पुनरावलोकन

प्रस्तुत अध्ययन “ग्रामीण ग्रामीण महिलाओं के स्वावलंबन में सरकारी योजनाओं की भूमिका :उत्तर प्रदेश के बस्ती जनपद की महिलाओं का एक समाजशास्त्रीय अध्ययन” में उन सन्दर्भित अध्ययनों की समीक्षा की गयी है जो अध्ययन की दृष्टि से महत्वपूर्ण एवं प्रासंगिक है,जो इस प्रकार हैं-

प्रभा आप्टे (1996) ने भारतीय समाज में नारी विषय पर पुस्तक लिखी है। यह पुस्तक ऋग्वेद से लेकर वर्तमान समय तक नारी की स्थिति की व्याख्या करती है। इसमें बदलते सामाजिक परिदृश्य में महिलाओं की समस्याओं एवं शोषण के विरुद्ध महिला संगठनों की भूमिका को भी स्पष्ट किया गया है।

श्री संजीव (2014) ने अपने शोध पत्र में लिखा है कि महिलाओं के स्वावलम्बन के लिए स्थानीय प्रतिभाओं, उद्यमियों, संस्थानों और नेटवर्क की क्षमता निर्माण में निवेश करने की सख्त जरूरत है ताकि वे आत्मनिर्भरता और सशक्तिकरण की भाषा बोलने में सक्षम हो सकें। **शेट्टार एम, राजेश्वरी (2015)** ने अध्ययन किया कि व्यावहारिक रूप से महिला सशक्तिकरण अभी भी वास्तविकता का भ्रम है, भारत की महिलाएं अपेक्षाकृत रूप से असशक्त हैं और सरकार द्वारा किए गए कई प्रयासों के बावजूद उन्हें पुरुषों की तुलना में कुछ हद तक निचले स्तर का आनंद मिलता है।

पांडा अंकिता, नायक देबेंद्र (2017) ने अपने अध्ययन में बताया कि समाज में महिलाओं की स्थिति में सुधार, प्रचार, समर्थन और सुधार के लिए सुशासन और नेतृत्व की भूमिका पिछले दशक से उल्लेखनीय है, लेकिन जरुरत और फंड के बीच एक बड़ा अंतर भी है, महिलाओं और वास्तविक लाभार्थियों के लिए, वे निर्णय लेने की शक्ति को बढ़ावा देने और महिलाओं को यह महसूस कराने का भी सुझाव देते हैं कि उन्हें परिवार और समाज में भी महत्व दिया जानें, तथा और अधिक योजनाओं और पहलों की आवश्यकता है।

देवी रामा टी. (2017) ने शोध किया और सिफारिशें दीं क्योंकि महिलाएं भारत की आबादी का आधा हिस्सा हैं, उनकी भागीदारी और सशक्तिकरण के बिना, सतत विकास के लिए तेजी से आर्थिक प्रगति संभव नहीं है,अतः महिला सशक्तिकरण अत्यंत महत्वपूर्ण है।

सरकार, नागरिक समाज संगठनों के साथ-साथ और अन्य सभी हितधारकों को आगे आना चाहिए और महिला सशक्तिकरण प्रक्रिया में शामिल होना चाहिए, यह समय की मांग है।

बेग दानिश मिर्ज़ा (2018) ने अपने शोध पत्र में लिखा है कि यह एक ऐसा समय है जब भारतीय ग्रामीण समाज को परिवर्तन की आवश्यकता है, सरकार को तकनीकी सहायता के साथ स्मार्ट योजनाएं तैयार करनी चाहिए। भारत में हमें अन्य देशों की तरह विकास के लिए स्मार्ट तकनीकों की आवश्यकता है।

दत्ता, वी. मित्तल (2019) ने अध्ययन में बताया कि शिक्षा महिलाओं को सशक्त बनाने और उन्हें निर्णय लेने में सक्षम बनाने में एक महत्वपूर्ण कारक है, शोध के अनुसार सशक्तिकरण में जागरूकता और साक्षरता बढ़ाना शामिल है।

एक शिक्षित महिला एक अशिक्षित महिला की तुलना में जीवन की किसी भी चुनौती का बेहतर ढंग से सामना कर सकती है।

अध्ययन के उद्देश्य - प्रस्तुत अध्ययन का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण विकास योजनाओं का महिला स्वावलम्बन में भूमिका को ज्ञात करना है,इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए कुछ सह-उद्देश्य बनाये गये हैं जो निम्नानुसार हैं :

1. अध्ययन क्षेत्र में संचालित ग्रामीण विकास योजनाओं की स्थिति ज्ञात करना।
2. ग्रामीण विकास योजनाओं की प्रभावशीलता का विश्लेषण करना
3.. महिला स्वावलम्बन में ग्रामीण विकास योजनाओं की भूमिका ज्ञात करना
4..ग्रामीण विकास योजनाओं में महिलाओं की सहभागिता का अध्ययन करना

अनुसंधान क्रियाविधि -प्रस्तुत शोध पत्र की प्रकृति पूरी तरह से वर्णनात्मक और विश्लेषणात्मक है, शोध के लिए उपयोग किये जाने वाले तथ्य पूर्ण रूप से विषय के आवश्यकतानुसार प्राथमिक व द्वितीयक स्त्रोतों से एकत्र किये गये हैं।

***अध्ययन क्षेत्र* एवं समग्र**,

प्रस्तुत शोध अध्ययन उत्तर प्रदेश के बस्ती जनपद की बनकटी ब्लाक व कुदरहा ब्लाक के ग्रामीण क्षेत्रों में सम्पन्न किया गया है,शोध कार्य हेतु अध्ययन के समग्र के रूप में कुदरहा ब्लाक व बनकटी ब्लाक के ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली 60 ग्रामीण महिलाओं पर केंद्रित रहा।

गैर-संभावना निदर्शन पद्धति के उद्देश्यपूर्ण निदर्शन विधि का प्रयोग कर सूचना व तथ्य एकत्रित किये गये, तथ्य संकलन हेतु प्राथमिक स्रोत साक्षात्कार अनुसूची ,समूह चर्चा विधि का प्रयोग किया गया।

ग्राम पंचायत अमईपार,रौतापार,तथा नेवारी के गांवों का चयन संभाव्य निदर्शन विधि से किया गया तथा प्रत्येक गांव से कुल 10 महिलाओं का चयन संभाव्य निदर्शन विधि द्वारा उत्तरदाता के रूप में किया गया ।

गाँवो के नाम कुरमौल(अमईपार ग्राम पंचायत),दौलतपुर,नराड़,बखरिया(रौतापार ग्राम पंचायत),नेवारी,सुरापर(नेवारी ग्राम पंचायत) है।

क्षेत्रिय विधि का प्रयोग कर यह अध्ययन अगस्त –नवंबर 2023 के बीच उ.प्र. के बस्ती जिले के बनकटी व कुदरहा ब्लॉक के ग्रामीण क्षेत्रों में 18-60 आयु वर्ग की ग्रामीण महिलाओं के बीच आयोजित किया गया । तथ्यों के संकलन हेतु पूर्व परीक्षित, अर्ध संरचित साक्षात्कार अनुसूची का

उपयोग किया गया,तथ्यों का विश्लेषण एवं व्याख्या सामान्य प्रतिशत विधि द्वारा किया गया,सारणीयन आदि सांख्यिकीय विधियों का उपयोग करके डेटा का सांख्यिकीय विश्लेषण किया गया ।

***शोध परिणाम* – ग्रामीण महिलाओं के स्वावलम्बन में सरकारी योजनाओं की भूमिका**

सम्बन्धित तथ्यों का विश्लेषण (ग्रामीण महिला उत्तरदात्रियों द्वारा प्राप्त तथ्य)

सारणी क्रमांक-1

क्रम संख्या	सरकार द्वारा ग्रामीण महिलाओं के लिए चलायी जा रही योजनाओं से लाभान्वित	उत्तरदात्रियों कि संख्या	प्रतिशत
1.	हाँ	54	90
2.	नहीं	6	10
	कुल योग	60	100

सारणी क्रमांक 1 से स्पष्ट होता है कि निदर्शन में चयनित 60 ग्रामीण महिलाओं में से 90 प्रतिशत महिलाएं सरकार द्वारा चलाये जा रहे योजनाओं में से किसी न किसी योजना का लाभ ले रहीं हैं।

सारणी क्रमांक -2

क्रम संख्या	सरकारी योजनाओं के विषय में जानकारी प्राप्त होना	उत्तरदात्रियों कि संख्या	प्रतिशत
1.	विज्ञापन द्वारा	18	30
2.	परिवार के सदस्यों द्वारा	31	51.67
3.	सरकारी स्रोतों द्वारा	6	10
4.	पड़ोसियों द्वारा	5	8.33

सारणी क्रमांक-2 से ज्ञात होता है कि 30 प्रतिशत महिलाओं को सरकारी योजनाओं के सन्दर्भ में जानकारी विज्ञापन द्वारा, 51.67 प्रतिशत महिलाओं को जानकारी परिवार के सदस्यों द्वारा प्राप्त होती है,10 प्रतिशत महिलाओं को सरकारी एजेंशियो द्वारा,8.33 प्रतिशत को पड़ोसियों द्वारा इस सन्दर्भ में जानकारी प्राप्त होती हैं ।

सारणी क्रमांक-3

क्रम संख्या	सरकारी योजनाओं के फलस्वरूप आर्थिक रूप से स्वावलंबी होने के सन्दर्भ में	उत्तरदात्रियों कि संख्या	प्रतिशत
1.	हाँ	5	8.33
2.	नहीं	31	51.67
3.	कुछ मात्रा में	24	40
	कुल योग	60	100

सारणी क्रमांक-3 से ज्ञात होता है कि केवल 8.33 प्रतिशत मिलाएं यह स्वीकार करतीं है कि सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के द्वारा वो आर्थिक रूप से स्वावलंबी हुयीं हैं।

सारणी क्रमांक-4

क्रम संख्या	सरकारी योजनाओं से जीवन में सकारात्मक बदलाव	उत्तरदात्रियों कि संख्या	प्रतिशत
1.	हाँ	6	10
2.	नहीं	30	50
3.	अल्प मात्रा में	24	40
	कुल योग	60	100

सारणी क्रमांक-4 से स्पष्ट होता है कि 60 में से केवल 10 प्रतिशत महिलायें यह मानती हैं कि सरकारी योजनाओं से उनके जीवन में पूर्ण रूप से सकारात्मक बदलाव आयें हैं, तथा वो सरकार द्वारा महिलाओं के स्वावलम्बन के लिए चलाई जा रहीं योजनाओं से संतुष्ट हैं,जबकि 40 प्रतिशत मिलाएं कुछ मात्रा में संतुष्ट हैं, 50 प्रतिशत महिलाएं यह मानतीं है कि इन योजनाओं से उनके जीवन में कोई सकारात्मक बदलाव नहीं आया हैं। सरकारी योजनाओं के द्वारा जीवन की गुणवत्ता के सुधार के संदर्भ में 26.66 प्रतिशत महिलाओं ने सकारात्मक बदलाव महसूस किया ।

चयनित 60 उत्तरदात्रियों में से सरकार द्वारा चलाई जा रहीं जिन योजनाओं का लाभ ले रहीं हैं विवरण **सारणी क्रमांक-5** के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है -

सारणी क्रमांक-5

सरकार द्वार चलायी जा रहीं विभिन्न योजनाएं एवं लाभार्थियों कि संख्या

योजनाओं के नाम	लाभार्थियों कि संख्या	प्रतिशत
टीकाकरण	54	91.67
गर्भावस्था सहायता	10	21.66
सरकारी शौचालय	54	90
आयुष्मान योजना(स्वास्थ्य एवं खाद्य पोषण)	35	58.33
आवास योजना	13	43.33
जन-धन योजना	42	70
मनरेगा	25	41.66
उज्जवला योजना	34	56.66
सुकन्या समृद्धि योजना	10	16.66
प्रधानमंत्री अंत्योदय अन्न योजना (मासिक मुफ्त राशन)	46	76.66

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (बैंक लोन)	12	20
कौशल विकास(व्यावसायिक प्रशिक्षण एवं रोजगार)	10	16.66
महिला स्वयं सहायता समूह	17	28.33

इसी प्रकार ग्रामीण महिलाओं के साथ समूह चर्चा के दौरान एक महिला ने बताया कि सरकारी योजनाओं का लाभ गावं के गरीब लोगो को न मिल कर,सिर्फ उन्ही लोगों को मिल रहा जिनकी गाँव में ज्यादा पहुँच है(उच्च वर्ग के लोगो को),एक महिला ने कहा कि सरकार से निवेदन है कि हमारे(गरीब के) बच्चों को पढने के लिए उसी प्रकार से विद्यालय उपलब्ध कराये जाने चाहिए जैसा कि बड़े लोगो के बच्चों को मिलता है,क्यों कि सरकारी विद्यालय में पढाई अच्छी नहीं होती,एक उत्तरदात्री ने बताया कि गाँव के मुखिया(प्रधान)सिर्फ योजनाओं के सम्बन्ध में जातिवाद, भाई - भतिजावाद करतें हैं,कुछ महिलाओं ने बताया कि ज्यादा पढ़े-लिखे न होने की वजह से उन्हें सरकारी कागजातों,योजनाओं के सम्बन्ध में जानकारी नहीं मिल पाती जिससे वे इनके लाभ से वंचित रह जाती हैं।

निष्कर्ष-

निष्कर्षतः कहा जा सकता हैं कि, भारत में महिलाओं की स्थिति वर्तमान समय में भी उतनी अच्छी नहीं है जितनी होनी चाहिए, महिला आबादी के अधिकारों और बुनियादी जरूरतों का समर्थन करने के लिए और अधिक प्रयासों की आवश्यकता है, जिनमें से विभिन्न सरकारी गैर-सरकारी योजनाओं, कार्यक्रमों को अपनाना और उन्हें जमिनी स्तर पर सही दिशा में क्रियान्वयन कर महिला सशक्तिकरण व स्वावलम्बन के अनेक आयामों को सक्षम किया जा सकता है।

भारत सरकार विभिन्न कार्यक्रमों और पहलों के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाने का प्रयास कर रही है, लेकिन इन कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से लागू करने में अभी भी कुछ चुनौतियाँ बनीं हुई हैं, भारत में अधिकतर महिलाएँ सशक्तिकरण के लिए सरकारी कार्यक्रमों और पहलों से अनजान हैं, जिससे कि गरीब व दुर्बल वर्ग की ग्रामीण महिलाएं इनके प्रभावशीलता से वंचित हैं ,इन कार्यक्रमों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और जानकारी प्रसारित करने की आवश्यकता है ताकि महिलाओं को लाभ मिल सके।

वस्तुतःमहिलाओं महिलाओं के स्वावलम्बन के लिए जिस चीज की सबसे अधिक आवश्यकता है, वह है महिलाओं के प्रति सामाजिक नजरिए में बदलाव की अतः ग्रामीण महिलाओं को स्वावलंबी व सशक्त बनाने में प्रदान की गई सभी योजनाओं को सफल बनाने के लिए, यह बहुत आवश्यक है कि वे खुली ग्रामीण सभा (ग्राम सभा, ग्राम पंचायत) में बड़ी संख्या में भाग लें और सरकारी योजनाओं के निहितार्थ के बारे में अपनी प्राथमिकताओं और चिंताओं को व्यक्त करें साथ ही महिलाओं से सम्बंधित सभी सामाजिक निर्योग्यताओं जैसे- पर्दा प्रथा, अशिक्षा आदि का उन्मूलन किया जाये जैसा कि हम सभी जानते हैं भारतीय संस्कृति में महिलाओं को "लक्ष्मी", "सरस्वती" और "दुर्गा" के रूप में पूजा जाता है, ये तीनों देवियाँ पूर्ण महिला सशक्तिकरण को दर्शाती हैं, इसका अर्थ है कि अगर हम एक महिला को सशक्त बनाना चाहते हैं तो हमें उसे तीनों की शक्ति देनी होगी।

धन, बुद्धि और शक्ति इसके लिए सिर्फ सरकारी पहल पर्याप्त नहीं होगी, समाज को एक ऐसा माहौल बनाने के लिए उपाय करने होंगे जिसमें महिलाओं को आर्थिक ,राजनीतिक और सामाजिक जीवन में भाग लेने का पूरा अवसर मिले, महिला स्वावलम्बन तभी हासिल किया जा सकता है जब उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सुधार हो।

इस प्रकार यदि हम अमर्त्य सेन के सामर्थ्य उपागम, अभिजित बनर्जी के अर्थशास्त्रीय सिद्धांतों को भारतीय सामाजिक पृष्ठभूमि के सन्दर्भ में देखें तो सरकारी योजनाओं व प्रयासों के द्वारा महिलाओं को विकास की मुख्यधारा में शामिल करना शायद सशक्तिकरण हासिल करने का सबसे अच्छा तरीका है,सशक्तिकरण वास्तव में तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक लोगों को ऐसी संपत्तियां हासिल करने के साधन नहीं दिए जाते जो उन्हें आर्थिक रूप से स्वतन्त्र बनने और समाज में अपनी पहचान स्थापित करने में सक्षम नहीं बनाती हैं।

समाज को आवश्यक परिस्थितियाँ बनाने के लिए पहल करनी चाहिए ताकि लोग महिलाओं की उन्नति के लिए देश की योजनाओं से वास्तव में लाभान्वित हो सकें।

भारत के संविधान और अन्य कानूनों में तो महिलाओं को बराबरी का दर्जा प्राप्त हो चुका है, किन्तु इस कानूनी बराबरी को वास्तविकता के धरातल से जोड़ना भी अति महत्वपूर्ण है।

संदर्भ ग्रन्थ

1. Rao sanjeev the journal of “The Last Mile: Gateway to rural empowerment in India” The Journal of Field Actions science Reports,special issue 12,2014

2. Shettar M.,Dr.Rajeshwari “A Study on Issues and Challanges of women empowerment in India”IOSR Journal of Business and Management (IOSR-JBM),Volume 17,Issue 4,Ver 1(April2015)PP13-19

3. Panda Ankita,Nayak Debendra “An Emperical study on women empowerment and their status in Society” Department of professional courses ,G.M.University,Sambalpur.

4. Devi Rama T.”Gender Equality:Women Empowerment”Global Journal for Research analysis ,Volume -6,Issue-9,Special Issue September -2017,ISSN No.2277-8160

5. Beg Danish Mirza “Smart and Sustainable rural Development”,International Journal of Recent Scientific Research,Volume 9,Issue ,1(H),pp23427-23429,January 2018

Azad,Chandra Prakash (2008)Empowerment of women in Post Independence Era.New Delhi Deep &Deep publication

6.Dutta,V Mittal “Important Aspects of women empowerment in Assam and India”Arts Social Sci J 2019,Vol 10(2):437,DOI:10.4172/2151-6200,1000437

7. https://www.aajtak.in/business/news/story/poor-not-lazy-slacker-due-to-government-help-abhijeet-banerjee-nobel-prize-winning-economist-tutd-1237249-2021-04-12

8.www.slideshare.net www.vikaspidia.com www.shodhgangotri.com www.ruraldiksha.nic.in

9. Annapurna Nautiyal, Himanshu Bourai. (2009). 'Women Empowerment in Garhwal Himalayas: Constraints and Prospects', Kalpaz Publica- tions, Delhi.

10. Brady, Martha (2005). Creating Safe Spaces and Building Social Assets for Young Women. In The Developing World: A New Role for Sport. Women's Studies Quarterly 2005, vol.33, no.1&2

11. Christabell, P.J., (2009). 'Women Empowerment through Capacity Building The Role of Microfinance', Concept Publishing Company, New Delhi.

12. Kabeer, N. (1995). Targeting women or transforming institutions? Policy lessons from NGO anti-poverty efforts. Development in practice 5(2), 108-116.

13. Kabeer, N. (2005). Gender Equality and Women's Empowerment: A Critical Analysis of the third Millennium Development Goal. Gender and Development 13(1), 13-24.

14. Kachika, T. (2009). Women's Land Rights in Southern Africa: Consolidated Baseline Findings from Malawi, Mozambique, South Africa, Zambia, and Zimbabwe. London: Niza and Action AID International.

15. Kishor, S. and Gupta, K. (2009). Gender Equality and Women's Empowerment in India, NATIONAL FAMILY HEALTH SURVEY (NFHS-3) INDIA, 2005-06, International Institute for Population Sciences, Deonar, Mumbai.

16. Lennie, J. (2002). Rural women's empower- ment in a communication technology project: some contradictory effects. Rural Society, 12(3), 224-245.

17. Mosedale, Sarah (2005). Policy Arena. Assessing Women's Empowerment: Towards a Conceptual Framework. Journal of International Development, J. Int. Dev. 17 243-257

18. Peters, M., & Marshall, J. (1991). Education and empowerment: Postmodernism and the critique of humanism. Education and Society, 9(2).

Sharma, S.L. (2000). Empowerment without Antagonism; A Case for Reformulation of Women's Empowerment Approach, Journal of Indian Sociological Society, Vol.49, No.1, Delhi, India.